रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239209
CG-DL-E-29092022-239209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 4395] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

गृह मंत्रालय

(कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

यूएपीए 1967 की धारा-8 के तहत अधिसूचना

का.आ. 4585(अ).—भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों या संबद्ध को या फ्रंट जिसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरएफआई), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित शामिल हैं, को अधिसूचना का.आ. संख्या 4559 (अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2022 के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया है।

तथा, उक्त अधिनियम की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 4560 (अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2022 द्वारा सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को उपरोक्त गैर कानूनी संघ के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है।

तथा, आदेश संख्या एफ. 14017/04/2022-एनआई-एमएफओ दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के तहत यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दें कि कोई भी शक्ति जो उनके द्वारा प्रयोग करने के लिए निर्देशित की गई है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के तहत जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाएगी।

तथा, आदेश संख्या एफ.सं. 8/विविध/2022/एचपी-II/2067 दिनांक 28.09.2022 के तहत यह सूचित किया गया है कि माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली ने निर्देश दिया है कि आयुक्त पुलिस, दिल्ली केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4560 (अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2022 के अन्तर्गत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करें।

इसलिए अब मैं, संजय अरोरा, आयुक्त पुलिस, दिल्ली आदेश संख्या एफ.सं. 8/विविध/2022/गृह पुलिस-II/2067 दिनांक 28.09.2022, एततद्वारा घोषित और सूचित करता हूँ कि दक्षिण-पूर्वी जिला, दिल्ली में स्थित निम्नलिखित पते 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) और उसके सहयोगियों की गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 4559 (अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2022. द्वारा गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है।

1. एफ-30/1बी, ग्राउंड फ्लोर, जैद अपार्टमेंट, रॉयल होटल के पास, शाहीनबाग, दिल्ली।
2. एन-44ए-1, हिलाल हाऊस, ग्राउंड फ्लोर, अबुलफजल एन्क्लेव, जामिया नगर, दिल्ली
3. बी-27/2, तीसरी मंजिल, ठोककर नं.-7, जामिया नगर, दिल्ली।

मैं, एततद्वारा इस अधिसूचना के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए थानाध्यक्ष, व थाना शाहीन बाग के किसी अन्य निरीक्षक को भी सशक्त बनाता हूँ।

[फा. सं. 65/विविध/22/6201/कानूनी प्रभाग (डीए-Iबी)/पु.मु. दिल्ली]

संजय अरोरा, आयुक्त पुलिस

MINISTRY OF HOME AFFAIR

(Office of the Commissioner of Police : Delhi)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

NOTIFICATION U/S 8 OF UAPA, 1967

S.O. 4585(E).—Whereas, the Government of India, in exercise of powers conferred by section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), has declared the Popular Front of India (PFI) and its associates or affiliates or fronts, including Rehab India Foundation (RFI), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala as unlawful association vide notification number S.O. No. 4559(E) dated 27th September, 2022.

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 42 of the said Act , the Central Government has directed vide Notification No. S.O. 4560 (E) dated 28th September, 2022 that all the States and Union Territory Administrations shall exercise the powers exercisable by the Central Government under sections 7 and section 8 of the said Act in relation to the above said unlawful association.

And whereas, vide Order No. F. No. 14017/04/2022-NI-MFO dated 28th September, 2022, it has been conveyed that the State Governments and Union Territory Administrations may, by order in writing , direct that any power which has been directed to be exercised by it, shall, in such circumstances and under such conditions, as may be specified in the direction, be exercised by any person subordinate to the State Government and Union Territory Administration.

And whereas, vide order No. F. No. 8/Misc./2022/HP-II/2067 dated 28.09.2022, it has been conveyed that Hon'ble Lt. Governor, Delhi has directed that Commissioner of Police, Delhi shall exercise the powers delegated to him by Central Govt. vide Notification No. S.O. 4560 (E) dated 28th September, 2022.

Now therefore, I, **Sanjay Arora, Commissioner of Police**, **Delhi**, in exercise of Powers delegated to me by order No. F.No. 8/Misc./2022/HP-II/2067 dated 28.09.2022, hereby declare and notify that the following addresses situated in South East District, Delhi are being used for the purpose of carrying out

activities of ‘Popular Front of India’ (PFI) and its associates or affiliates, which have been declared as Unlawful Association by the Central Government vide notification No. S.O. No. 4559 (E) dated 27th September, 2022.

1. F-30/1B, Ground Floor, Zaid Apartment, near Royal Hotel, ShaheenBagh, Delhi.
2. N-44/A-1, Hilal House, Ground Floor, AbulFazal Enclave, Jamia Nagar, Delhi.
3. B-27/2, 3rd Floor, Thokkar No -7, Jamia Nagar, Delhi.

I, hereby, also empower the SHO, or any other Inspector of PS ShaheenBagh to take all actions necessary for the execution of this Notification.

[F. No. 65/Misc/22/6201/Legal Division (DA-IB)/PHQ DELHI]

SANJAY ARORA, Commissioner of Police

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA